



मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

☎ : (ऑफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स : 0755-2572643, वेबसाइट : mprdc.gov.in

क्र. 27409/एमपीआरडीसी/डी-एम/भोपाल 2021

भोपाल दिनांक 16/11/2021

प्रति,

✓ कलेक्टर महोदय

जिला, रायसेन(म.प्र.)

विषय : गड्डी - अहमदपुर (0+000 कि.मी. से 18+600 कि.मी) के उन्नयन कार्य में लगभग 6.93 हेक्टेयर ली जा रही वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित करने बावत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेख हे की गड्डी- अहमदपुर राज्यमार्ग क्र. SH-29 के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के कार्य मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है । जिसमे रायसेन जिले में वन मंडल रायसेन के अधीन लगभग 6.93 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में लायी जावेगी । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियमानुसार समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को दिलाये जाने का प्रावधान है एवं जिस पर वन विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वन विभाग द्वारा बनायीं जाती है ।

अतः निवेदन है की वन भूमि लगभग 6.93 हेक्टेयर जो सड़क निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लायी जा रहे है , के बदले समतुल्य राजस्व वन भूमि वन विभाग को आवंटित करने का कष्ट करे । जिसमे सड़क निर्माण कार्य समय सीमा में किया जा सके ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


संभागीय प्रबंधक

एमपीआरडीसी, भोपाल

पृ.क्र...../एमपीआरडीसी/डी.एम/भोपाल 2021

भोपाल दिनांक/11/2021

प्रतिलिपि-

1. पर्यावरण विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

— Sd —
संभागीय प्रबंधक
एमपीआरडीसी, भोपाल

45-11-21
आवक लिपिक
कार्यालय रायसेन